मोती बाग, नई दिल्ली के नगर पालिका अस्पताल में दवाइयों का उपलब्ध न होना

3629. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती बाग -I नई दिल्ली, 21 में स्थित नगर पालिका अस्पताल में दवाइयों की कमी के कारण दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं अथवा डाक्टरों और फार्मेसिस्टों की मनमानी के कारण ऐसा हो रहा है ;

(ख) क्या फार्मेसिस्ट मरीजों से रिश्वत लेने के बाद ही उन्हें दवाइयां दे रहे हैं अथवा वे अस्पताल से दवाइयों की चोरी करके उन्हें बाजार में बेच रहे हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि डाक्टर अधिकतर मरीजों को दवाइयां बाजार से खरीदने की सलाह दे रहे हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस समय नई दिल्ली का नगर पालिका अस्पताल मोती बाग के फार्मासिस्ट 15-6-87 से हड़ताल पर हैं और इसलिए वाह्य रोगी विभाग में आने वाले रोगियों को कोई औषधियां नहीं दी जाती ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि जनता से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी नहीं । फार्मासिस्टों की हड़ताल के कारण वाह्य रोगी विभाग के रोगियों को दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं । तथापि, अंतरंग रोगियों को दवाइयां अस्पताल से प्रदान की जा रही हैं ।

मोतीलाल नेहरू कालेज के सामने स्थित सब्जी मार्केट का स्थानान्तरित किया जाना

3630. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोती लाल नेहरू कालेज, नई दिल्ली के ठीक सामने एक सब्जी मार्किट है ;

(ख) क्या इस मार्किट में व्यापारिक कार्यवाही चलने के कारण सांध्यकालीन कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की पढ़ाई में भारी विघ्न पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मार्किट को वहां से हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, । कुछ बाधाएं हुई हैं ।

(ग) मार्केट को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा हटाया जाना है और दिल्ली प्रशासन उनके साथ यह मामला उठा रहा है ।

एस० टी० ए० परमिट के अधीन चल रही मिनी बसों द्वारा लिया जा रहा किराया

3631. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० टी० ए० परमिट के अधीन चल रही मिनी बसों द्वारा लिए जा रहे किराये की दरें 50 पैसे, 75 पैसे, 1.00 रुपया, 1.50 रुपया और 2.00 रुपये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मिनी बसों द्वारा लिए जा रहे किराये की दरें डी० टी० सी० की बसों में लिए जा रहे किराये की दरों के बराबर होने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण के तहत मिनी बसों द्वारा वसूले जाने वाले भाड़े की दरें 50 पैसे, 75 पैसे, 100 पैसे और 150 पैसे क्रमशः 0-5 कि० मी०, 5-10 कि० मी०, 10-20 कि० मी० और